

पुलिस आदेश सं० 255/95

विषय: बिहार सैन्य-पुलिस-16 में नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताओं के संबंध में।

बिहार सैन्य पुलिस-16 भूतपूर्व सैनिकों को वाहिनो है जिसका गठन 198 में किया गया था। समय-समय पर निर्गत सरकारों और विभागीय आदेशों तथा सशस्त्र सेनाओं के पुनर्वात महानिदेशालय, नई दिल्ली के द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए इन वाहिनो में सामान्य आरक्षी को कौटि में नियुक्ति हेतु निम्नलिखित न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण किया जाता है :-

111. उम्मीदवार भूतपूर्व सैनिक को निर्धारित और मान्य परिभाषा के अन्तर्गत होना चाहिए।
- 121 अधिकतम आयु सीमा- 37 (सैंतिस) वर्ष।
- 131 सशस्त्र सेना में पूर्व सेवा को न्यूनतम अवधि- 5 (पाँच) वर्ष।
- 141 सशस्त्र सेना से डिस्चार्ज हुए 5 (पाँच) वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
- 151 सशस्त्र सेना से डिस्चार्ज के समय मेडिकल कैटेगरी उच्चतम, यानि 'A' होना चाहिए।
- 161 सेना से डिस्चार्ज के समय चरित्र का श्रेणीकरण उच्चतम, यानि 'अनुकरणीय' (Exemplary) होना चाहिए।
- 171 उम्मीदवार यथासंभव योद्धा (Combatant) श्रेणी का होना चाहिए जिसने सेना में रहते हुए सक्रिय सशस्त्र ड्यूटी निभाई हो। आमतौर पर उम्मीदवार सर्जेंट कौर, मेडिकल कौर, सिग्नल कौर, अभियंत्रण शाखा, धीबी, मौचो, मिस्त्री, राजमिस्त्री आदि श्रेणी का नहीं होना चाहिए।
- 181 शारीरिक योग्यता (ऊँचाई, सोना, शैथनिक योग्यता तथा अन्य परीक्षण) - 181 दौड़, ऊँचो कूद, लम्बो कूद, गोला फेंकना आदि तथा डाक्टरों परीक्षण के लिए वह सभी न्यूनतम अर्हताएँ लागू होंगी जो अन्य सामान्य वाहिनियों के लिए लागू हैं।
- 191 नियुक्ति को प्रक्रिया सामान्यतः वही होगी जो अन्य वाहिनियों में लागू है। नियुक्ति एक वस पत्रद द्वारा की जायगी जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे:-
 - क। समाटेस्टा, बि०से०पु०-16।
 - ख। अन्य वाहिनियों के 2 समाटेस्टा जिनका नामांकन आरक्षी महानिरोधक, सशस्त्र बल, बिहार, के द्वारा किया जायगा।

गंगा निदेशक, राज्य तैमिक कलियोग निदेशालय, बिहार, पटना या बिहार
रेजिमेंटल क्वार्टर, दानापुर के कोड वरीय पदाधिकारी कम से कम मेजर कोटि के
नामांकन बी०आर०सी०, दानापुर के प्रभारी डिप्टी क्वार्टर के द्वारा किया जायगा।
वरीयतम समादेश्टा वफा पत्र के अध्यक्ष होंगे।

जी०
28/7/95

गंगा प्रसाद दोहरे।

महा निदेशक एवं आरक्षी महानिरोक्षक, बिहार, पटना

जायक 1513 /
7-1-6/92

महा निदेशक एवं आरक्षी महानिरोक्षक का कार्यालय
पटना, दिनांक- 28 जुलाई, 1995.

- प्रतिलिपि: आरक्षी उप-महानिरोक्षक, उ०मं०, मुजफ्फरपुर को सूचनाथ ।
2. आरक्षी उप-महानिरोक्षक मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनाथ ।
3. समादेश्टा, बि०मै०पु०-16, कैम्प-नौसा को सूचनाथ एवं आवश्यक क्रियार्थ-

जी०
28/7/95

महा निदेशक एवं आरक्षी महानिरोक्षक, बिहार, पटना

देवन्द 27795 ::

30	31
2	3
9	10
16	17
23	24
30	31

2
9
16
23
30